न्यायालय , अपर सत्र न्यायाधीश, न्याय कक्ष सं०-4,झांसी।

सरकार----बनाम--- संजू उर्फ संजीव चतुर्वेदी।

सत्र वाद सं०-**985/2021**

दिनांक–08.04.2022

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्तगण संजू उर्फ संजीव चतुर्वेदी जरिये वीडियो कान्फ्रेंसिंग व अभियुक्त के०पी० सिंह व राजदीप जेरे कारागार उपस्थित। अभियुक्त राजाबाबू के द्वारा हाजिरी माफी प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया, आज हेतु स्वीकृत किया गया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य नियत है। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत वाद को अन्य वाद के समेकित किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है।

विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि प्रस्तुत सत्र परीक्षण वाद के अतिरिक्त सत्र परीक्षण वाद सं०–986/2021 सरकार बनाम संजू उर्फ संजीव चतुर्वेदी, सत्र परीक्षण वाद सं०–987/2021 सरकार बनाम राजाबाबू चौहान, सत्र परीक्षण वाद सं०–988/2021 सरकार बनाम राजदीप चौहान एवं सत्र परीक्षण सं०–989/2021 सरकार बनाम के०पी० सिंह चौहान भी माननीय न्यायालय के समक्ष लंबित है जिनके साक्षी, साक्ष्य तथा अभियुक्तगण एक ही हैं एवं उपरोक्त सभी प्रकरण एक फर्द बरामदगी से सम्बन्धित हैं। जिनका संयुक्त विचारण किया जाना आवश्यक है। उक्त आधार पर उपरोक्त अभिवर्णित सत्र वादों को समेकित किये जाने का निवेदन किया गया है।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रस्तुत सत्र परीक्षण वाद सं०–985/2021 सरकार बनाम संजू उर्फ संजीव चतुर्वेदी आदि के अतिरिक्त इस न्यायालय में अन्य सत्र परीक्षण वाद सं० –986/2021 सरकार बनाम संजू उर्फ संजीव चतुर्वेदी, सत्र परीक्षण वाद सं०–987/2021 सरकार बनाम राजाबाबू चौहान, सत्र परीक्षण वाद सं०–988/2021 सरकार बनाम राजदीप चौहान एवं सत्र परीक्षण सं०–989/2021 सरकार बनाम के०पी० सिंह चौहान की पत्रावली में मूलरूप में संलग्न है। चूंकि उपरोक्त अभिवर्णित पांचों सत्र वाद सम्बन्धित थाने द्वारा एक ही फर्द बरामदगी से पांच भिन्न अपराध पंजीकृत कर न्यायालय में प्रकरण प्रेषित किया गया है। जिसके मूल अभियोजन प्रपत्र सत्र परीक्षण वाद सं०–985/2021 सरकार बनाम संजू उर्फ संजीव चतुर्वेदी आदि में मूलरूप में संलग्न हैं। सत्र परीक्षण सं० –985/2021 में पूर्व में अभियोजन साक्षी सं०–01 व 02 क्रमशः का० दिलावर सिंह व उप–निरीक्षक विनोद कुमार की साक्ष्य अंकित की जा चुकी है। अतः न्यायहित में उक्त पांचों सत्र परीक्षण वाद को समेकित किया जाना न्यायोचित है। तदनुसार उक्त पांचों सत्र परीक्षण समेकित किये जाते हैं। प्रार्थनापत्र तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

सत्र परीक्षण संख्या 985/2021 सरकार बनाम संजू उर्फ संजीव चतुर्वेदी आदि को अग्रणी प्रकरण (लीडिंग केस) बनाया जाता है। शेष सत्र परीक्षण सं०–986/2021 सरकार बनाम संजू उर्फ संजीव चतुर्वेदी, सत्र परीक्षण वाद सं०–987/2021 सरकार बनाम राजाबाबू चौहान, सत्र परीक्षण वाद सं०–988/2021 सरकार बनाम राजदीप चौहान एवं सत्र परीक्षण सं०–989/2021 सरकार बनाम के०पी० सिंह चौहान की पत्रावली अग्रणी पत्रावली (लीडिंग केस) सत्र परीक्षण संख्या

Digitally signed by NEETU YADAV
Date: 2022.04.08 15:51:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

985/2021 के साथ साक्ष्य लंच उपरान्त पेश हो। आदेश की एक–एक प्रति सत्र परीक्षण संख्या–986/2021, 987/2021, 988/2021 एवं 989/2021 की पत्रावली पर रखी जाये।

दिनांकः08.04.2022

अपर सत्र न्यायाधीश,
न्याय कक्ष सं०–4, झाँसी।
JO Code–UP06381